न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 128/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

अनवान

1. इमरान पिता सिराज मोहम्मद मंसुरी निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. रीना पुत्री उत्तमचन्द नोलखा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. कमलेश पिता उत्तमचन्द नोलखा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादियाः श्री महेश दाधीच
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः..................
पेरोकार सरकार

दिनांक 03.12.2019

:: निर्णय ::

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेलोनी खेड़ा में हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 स्थित है। जिसके लिये नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात जो प्रतिवादी संख्या एक रीना व प्रविादी संख्या दो व एक की माता स्व0 चन्दादेवी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिस मे से रीना देवी के नाम व स्व0 चन्दा देवी के नाम दर्ज 630.21 वर्ग गज व 1066.68 वर्ग गज भूमि दर्ज थी व जिस में से वादीया ने 1125 वर्गफीट भूमि प्रतिवादी सख्या एक व चन्दा देवी से बिल ऐवज 50000 रूपये में दिनांक 09.08.2010 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया व मौके पर वादिया ने आधिपत्य प्राप्त किया जिस पर वादीया का क्रय दिनांक 09.08.2010 से आधिपत्य चला आ रहा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या एक व दो का कोई हित व दखलन नहीं है तथा मु0 चन्दादेवी का निधन हो जाने से चन्दा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर अभिलिखित हो गया है जिससे वादिया के नाम उक्त हिस्सा अभिलिखित नहीं हो पा रहा है।

यह कि वाद पत्र [illegible] में वर्णित आराजियात संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 [illegible] वर्गफीट भूमि बजरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया [illegible] तत्कालीन खातेदार मु0 चन्दा व प्रतिवादी संख्या एक अपना हिस्से में से 11[illegible] वर्गफीट भूमि वादीया [illegible] पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर चुकी है। जो हिस्से के अनुसार 125/4304 वा हिस्सा बनता है। जो वादिया के कब्जे काश्त में चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible]पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जिससे वादिया को उक्त आराजी के 125/4304 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक व दो नाम उक्त भूमि गलत अभिलिखित होने से प्रतिवादी संख्या एक व दो उक्त भूमि को खुर्दबुर्द व विक्रय करने पर आमादा व वादीया को अपने हिस्से से बेदखल करने की धमकियां दे रहे है जिससे वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है कि वादी के 125/4304 हिस्से में प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित भूमि में वादीया के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा नहीं करें , न अन्य को हस्तानान्तरित करावें, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे।

यह कि वादीया ने प्रतिवादी संख्या तीन के अधिनस्थ पटवारी हल्का को उक्त विक्रय पत्र की प्रतिलिपि की व नामान्तरण खोलने का अनुरोध किया तो उन्होने नामान्तरण नही खुला जिससे वादिया को उक्त वाद पेश कराना आवश्यक हो गया है।

वदिया ने वाद पत्रमें प्रार्थना की है कि ग्राम मेलोनी खेड़ा में हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 मे से 125/4304 वा हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाने की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री फरमायी जा करके वादिया के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराया जावें। एवं वादिया विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा कि डिक्री जारी फरमायी जावें कि उक्त वर्णित आराजियात में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा नही करे न अन्य को हस्तान्तरित करावें, न ये कृत्य स्वयं करे न अन्य से करावे।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2015 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अदम तामिल प्राप्त हुई जिसे राष्ट्रीकृत अखबार में प्रकाशित करवाया गया बाद अखबार में प्रकाशन के भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने के उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नंम्बर 3 ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 में अंकित तथ्यों को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया हैं। तथा प्रस्तुत जवाब में प्रकरण वाद में विक्रेता का किस हिस्से से लिया गया विक्रय ... साबंदी चौसाला में भिन्नता है पावर आफ अटार्नी संलग्न नही है भूमि ... में अंकित है केता हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है जो सही ... नहीं होता है क्रय भूखण्ड का नामान्तरणकरण पर रोक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

मुकदमा नम्बर 127/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

वाद पत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी ने आराजियात संख्या 3405/2445 मे से 1125 वर्गफीट भूमि प्रतिवादीगण से दिनांक 09.08.2010 को कय की?
———— जिम्मे वादी

2. कि आया वादी वाद वर्णित आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 में से 125/4304 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है?
———— जिम्मे वादी

3. कि आया कय भूखण्ड के नामान्तरण पर रोक है?
———— जिम्मे प्रतिवादी

4. कि आया भूमि सहखातेदारी में वर्गगज दर्ज है। केता हिस्सा दर्ज करवाना चाहता है?
———— जिम्मे प्रतिवादी

वादिया की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम मेलोनी खेड़ा की हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 भूमि स्थित है व वाद पत्र में हाल जमाबन्दी संवत् प्रदर्श 1 है। चन्दा देवी का निधन हो जाने से चन्दा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम अभिलिखित हो गया है जिससे वादिया के नाम उक्त हिस्सा अभिलिखित नहीं हो पाया है। वाद पत्र के साथ विकय पत्र की फोटोप्रति प्रदर्श 2 है। वादिया ने अपनी साक्ष्य में कुल 02 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादिया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादिया अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादिया ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चीह गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादिया के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गयाहैं।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरणमें तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

तनकी नंबर 02आया वादी वाद वर्णित ग्राम मेलोनी खेड़ा की आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 में से 125/4304 वां हिस्से (1125 वर्गफीट) का खातेदार काश्तकार घोषित होने की अधिकारी हैं।

इसतनकी को सिद्ध कराने का भार वादिया पर होने से वादी ने अपने साक्ष्य में 02 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

चूंकि ग्राम मेलोनी खेड़ा में हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात प्रतिवादी संख्या एक रीना व प्रविादी संख्या दो व एक की माता स्व0 चन्दादेवी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जिस मे से रीना देवी के नाम व स्व0 चन्दा देवी के नाम दर्ज 630.21 वर्ग गज व 1066.68 वर्ग गज भूमि दर्ज थी व जिस में से वादीया ने 1125 वर्गफीट भूमि प्रतिवादी सख्या एक व चन्दा देवी से बिल ऐवज 50000 रूपये में दिनांक 09.08.2010 को पंजीकृत विकय पत्र से कय किया व मौके पर वादिया ने आधिपत्य प्राप्त किया

सहायक कलक्टर (राजस्व अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुकदमा नम्बर 127/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

जिस पर वादीया का क्रय दिनांक 09.08.2010 से आधिपत्य चला आ रहा है। जिसमें प्रतिवादी संख्या एक व दो का कोई हित व दखलन नहीं है तथा मु0 चन्दादेवी का निधन हो जाने से चन्दा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर अभिलिखित हो गया है जिससे वादिया के नाम उक्त हिस्सा अभिलिखित नहीं हो पाया है। वर्णित आराजियात संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 मे से वादिया ने 1125 वर्गफीट भूमि बजरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया है व तत्कालीन खातेदार मु0 चन्दा व प्रतिवादी संख्या एक अपना हिस्से में से 1125 वर्गफीट भूमि वादीया को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर चुकी है। जो हिस्से के अनुसार 125/4304 वा हिस्सा (1125 वर्गफीट) बनता है। जो वादिया के कब्जे काश्त में चला आ रहा है। जिससे वादिया को उक्त आराजी के 125/4304 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या एक व दो नाम उक्त भूमि गलत अभिलिखित होने से प्रतिवादी संख्या एक व दो उक्त भूमि को खुर्दबुर्द व विक्रय करने पर आमादा होने से वादीया को अपने हिस्से से बेदखल कर सकते है जिससे वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित हैअतः तनकी नंबर 2 वादिया के पक्ष में निर्णितकी जाती हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी घोषणा वादिया के पक्ष में स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी घोषणा का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेलोनी खेड़ा में हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 मे से 125/4304 वा हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथातहसीदार सहाड़ा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें। एवं उक्त वर्णित आराजियात में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य से जबरन बेदखल नहीं करें। तदनु[illegible] जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर [illegible] होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर गंगापुर

Scanned by CamScanner

मूलवाद में डिकी

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 127/2015
वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

अनवान

1. इमरान पिता सिराज मोहम्मद मंसुरी निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. रीना पुत्री उत्तमचन्द नोलखा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. कमलेश पिता उत्तमचन्द नोलखा निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह महेश दाधीच, प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि -----x------ और इस वाद के खर्च लेखे -----x------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x------ द्वारा -----x------ को दी जाए।

वादिया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी घोषणा का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेलोनी खेड़ा में हाल आराजी संख्या 3405/2445 रकबा 0.36 हे0 मे से 125/4304 वा हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथातहसीदार सहाड़ा राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करें। एवं उक्त वर्णित आराजियात में वादिया के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 वादिया के स्वामित्व एवं आधिपत्य से जबरन बेदखल नहीं करें।

उपरोक्तानुसार भूमि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावें खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिकी आज दिनांक 03.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned by CamScanner